1325

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या–खा0/पुर्न0/233/2016–17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञा0 सं0–566 पटना, दिनांक–17.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कताई का कार्य करती है, उनके बीच 600 (छः सौ) नग कटिया चरखा वितरित किया गया है।

02. उक्त संकल्प के अनुसार 600 नग कटिया चरखा वितरण किये जाने के उपरान्त पुनः 600 कटिया चरखा बिहार स्थित खादी संस्था/समिति के मॉग पर वितरण किये जाने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुमोदन प्राप्त है।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक सं0–566 पटना, दिनांक–17.02.2017 के कंडिका–05 में उल्लेखित शर्त्तों के अनुसार निम्नलिखित संस्था/समितियों को 280 नग कटिया चरखा क्रय किये जाने हेतु कटिया चरखा की कीमत (प्रति चरखा 4275/–) का 50% रू0–5,98,500/– (पॉच लाख अन्ठानवे हजार पॉच सौ रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम	आवंटित चरखा की संख्या	प्रति चरखा कीमत	चरखा की कुल कीमत	स्वीकृत राशि (चरखा की कुल कीमत का 50%)
1	ग्राम निर्माण मण्डल, जयप्रकाश नगर, बुनियादगंज, गया	50	4275.00	213750.00	106875.00
2	मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, केन्द्रिय वस्त्रागार, सर्वोदय ग्राम, मुजफ्फरपुर –2	20	4275.00	85500.00	42750.00
3	सर्वोदय आश्रम, ग्राम–बलवापुर, पो0–अस्थावॉं, जिला–नालन्दा	40	4275.00	171000.00	85500.00
4	भागलपुर शिल्क खादी समिति, ग्राम–बड़गॉव, पो0–दरियापुर, थाना–सजौर, भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
5	सजौर सिल्क खादी समिति, ग्राम+पो0+थाना–सजौर, जिला–भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
6	तसर खादी विमर्स समिति, फाड़ी गली, नाथनगर चौक, नाथनगर, भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
7	आदर्श महिला विकास सहयोग समिति लि0, जगन्नाथ सुड़ी लेन, मन्दरोजा, भागलपुर	20	4275.00	85500.00	42750.00
8	विकास समिति, कार्यालय–प्रभावती ग्राम, जमुई	15	4275.00	64125.00	32062.50
	कुल :–	280		1197000.00	598500.00

04. उक्त स्वीकत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना में प्राप्त ब्याज की राशि से की जायेगी।

05. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञा0 सं0–566 पटना, दिनांक–17.02.2017 के कंडिका 03 में दिये गये शर्त्त के अनुसार ही कटिया चरखा क्रय करेगें।

(i) संस्था को कटिया चरखा के लिये 90% अनुदान की राशि दी जायेगी तथा चरखा के कीमत का 10% राशि मार्जिन के रूप में खादी संस्था/समितियों को स्वयं वहन् करना होगा।

(ii) कटिया चरखा का गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी–

(क) कटिया चरखा लोहे एवं आयरन का बना हो।

(ख) यह पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) हो।

(ग) चरखा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 200 से 250 ग्राम रेशमी सूत का कताई करता हो।

(घ) कटिया चरखा से कम से कम रू0 175–200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त होता हो।

(ड़) चरखा का वजन कम से कम 24 किलोग्राम का हो।

(iii) खादी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से कटिया चरखा के गुणवत्ता एवं **उपयोग** से स्वयं संतुष्ट होकर ही चरखा का क्रय किया जायेगा।

(iv) खादी संस्था/समिति को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आवंटित चरखा के कीमत का 50% राशि उपलब्ध कराया जायेगा। कटिया चरखा के संचालन के बाद इसकी गुणवत्ता (Specification) की जॉच खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जॉच के बाद ही शेष 50% राशि का भुगतान किया जायेगा।

(v) खादी संस्थाओं को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।

(vi) कटिया चरखा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधी सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 16/1/18

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :–उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 16/1/18

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :–राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 16/1/18

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :–उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम भुगतान करना सुनिश्चित करेगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
16/1/18

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/मुजफ्फरपुर/नालन्दा/भागलपुर/जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
16/1/18

ज्ञापांक– खा0/194 पटना, दिनांक– 16/01/2018

प्रतिलिपि :–जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, गया/मुजफ्फरपुर/नालन्दा/भागलपुर/मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
16/1/18

15/01/18

सुरेश
16/1/18

321

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना –4

संशोधित कार्यालय आदेश

संचिका सं0 – खा0/9/233/2016–17

कार्यालय आदेश ज्ञा0 सं0–खा0/176, पटना, दिनांक–15.12.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए विकास समिति जमुई को 20 कटिया चरखा के बदले 25 कटिया चरखा के 40% राशि मो0 8,550.00 (आठ हजार पॉच सौ पचास) रूपये अधिक भुगतान विकास समिति जमुई को हो गई है। जो राशि विकास समिति जमुई से वापस प्राप्त करते हुए नरसिंहपुर खादी केन्द्रीत रचनात्मक स0 स0 लि0, पो0–नरसिंहपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को 05 कटिया चरखा की 40% राशि कम भुगतान होने के कारण विकास समिति जमुई से वापस/प्राप्त राशि मो0 8,550.00 (आठ हजार पॉच सौ पचास) रूपये नरसिंहपुर खादी केन्द्रीत रचनात्मक स0 स0 लि0, पो0–नरसिंहपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है, जो निम्नरूपेण है :–

क0	संस्था/समिति का नाम	आवंटित चरखा की सं0	चरखा की कुल कीमत	संस्था को 40 प्रतिशत भुगतेय राशि की स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	नरसिंहपुर खादी केन्द्रीत रचनात्मक स0 स0 लि0, पो0–नरसिंहपुर, जिला–मुजफ्फरपुर	25	1,06,875.00	42,750.00
2	विकास समिति जमुई	20	85,500.00	34,200.00

आदेश में अंकित शेष कंडिकायें एवं शर्तें पूर्व की तरह यथावत् रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक – खा0/182 दिनांक 26/12/017 पटना, दिनांक– 26/12/17

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0/खादी)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. अध्यक्ष/मंत्री, विकास समिति जमुई से अनुरोध है कि RTGS/NEFT से आपको भुगतान की गई राशि के अनुसार अन्तर की राशि मो0 8,550.00 (आठ हजार पॉच सौ पचास) रूपये मात्र, बिहार स्टेट खादी एण्ड भिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड के खाता

1320

सं0–529602010007605, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्जीविशन रोड, पटना, IFSC Code-UBIN0530026 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर बोर्ड को शीघ्र सूचित करें।

03. सहायक लेखा पदाधिकारी (अंकेक्षण/खादी पुर्नरूद्धार योजना) को निदेश है कि विकास समिति जमुई द्वारा वापस की गई राशि को नरसिंहपुर खादी केन्द्रीत रचनात्मक स0 स0 लि0, पो0–नरसिंहपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को RTGS/NEFT द्वारा भुगतान करना सुनिश्चित करेगें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
26/12/17

ज्ञापांक – 2918/182 पटना, दिनांक– 26/12/2017

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
26/12/17

ज्ञापांक – पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– ~~प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।~~

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

26/12/2017 26/12/17